राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान बड़ाबर

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 126 / 2025

निर्णय दिनांक : 03.07.2025

दायर दिनांक – 03.07.2025

SCMS 2025/2410

1. भागीरथ पुत्र पन्ना जाति जाट निवासी ग्राम जिनरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

...............अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–ःनिर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान बड़ाबर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही ग्राम बड़ाबर तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 84 के खसरा संख्या 39 तादादी 0.1896 है0 ख0नं0 45 रकबा 5.3741 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.1896 है0, ख0नं0 45 रकबा 5.3741 है0, ख0नं0 72 रकबा 0.6834 है0, ख0नं0 77 रकबा 1.6390 है0, ख0नं0 90 रकबा 0.9863 है0 हिस्सा 1 / 12 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भागुराम दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भागीरथ है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड, पैनकार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भागीरथ अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही ग्राम जिनरासर पटवार हल्का बड़ाबर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम भागीरथ अंकित है जबकि जमाबन्दी में भागुराम दर्ज है। अतः तहसीलदार सुजानगढ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भागुराम की बजाय भागीरथ दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम भागीरथ अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही जिनरासर के खाता संख्या नया 84 के खसरा संख्या ख0नं0 39 रकबा 0.1896 है0, ख0नं0 45 रकबा 5.3741 है0, ख0नं0 72 रकबा 0.3034 है0, ख0नं0 77 रकबा 1.5300 है0, ख0नं0 90 रकबा 0.9863 है0 में दर्ज खातेदार का नाम भागुराम के स्थान पर भागीरथ दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा स्थान बड़ाबर में टंकित करवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ